न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./77/2023/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
चन्दाराम पुत्र हेमाराम, जाति कोली, निवासी गिड़ा, तहः सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. परतापा पुत्र कुंभा 2. दलबा पुत्र कुंभा 3. दयाराम पुत्र कुंभा 4. मगा पुत्र खेताराम 5. सरदारा पुत्र नानजी 6. भला पुत्र नानजी, उत्तरदाता सख्या 06 जरिये कुदरती वली माता मालु पत्नी नानजी 7. मालु पत्नी नानजी 8. केशा पुत्र खेता 9. लखमणा पुत्र हमीरा 10. केहरा पुत्र हमीरा 11. रमेश पुत्र हमीरा 12. देमा पत्नी हमीरा, जाति कोली, निवासी गिड़ा, तह. सेड़वा। 13. शाखा प्रबंधक बी. सी. सी. बी. शाखा, धारीमन्ना 14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजियक सेड़वा, जिला बाड़मेंर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 167/2013 बउनवान परतापा बनाम कुम्भा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गोड़ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—21.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी के खेत मौजा गिड़ा के खसरा संख्या 298 रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

527/298 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 18 विस्वा का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट/वादी बराबर बहिस्सा अनुसार कब्जा–काश्त है। उक्त हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरीये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द–बुर्द करना चाह रहे थे। उक्त वाद पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बिना विधिक तामील करवाये ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर बहस के दौरान निवेदन किया कि उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी के खेत मौजा गिड़ा के खसरा संख्या 298 रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सख्या 527/298 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 18 विस्वा का आया हुआ है। जिस पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। क्योंकि अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 वादी के मध्य राजीनामा हो गया है। वर्तमान में उभयपक्षकारान का लोकअदालत की भावना से मौजिज लोगों की समझाइश/उपस्थिति में राजीनामा हो गया है। अतः उभयपक्षकारान सहमति से हस्तगत प्रकरण को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई के समुचित अवसर हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करवाना चाहते हैं। अतः मेरे प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा को स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी सदभावी क्रेता खातेदार है। रेस्पोडेंटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार हैं अगर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जरिये राजीनामा उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करते हुए वादी के वादपत्र को खारिज करते हुए प्रस्तुत प्रश्नगत राजीनामा अनुसार राजस्व अभिलेख में हिस्सा दर्ज करवाना चाह रहे हैं। चूंकि हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रकट होते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस की बिना विधिक तामीली के ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों एवं पक्षकारों के आपसी राजीनामे अनुसार अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपसी राजीनामे अनुसार अमल दरामद करवाने हेतु राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय बाद उभयपक्ष सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा, द्वारा राजस्व वाद संख्या 167/2013 बउनवान परतापा बनाम कुम्भा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर विधि सम्मत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर मूल पत्रावली प्राप्त होने के 30 दिवस में निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

21/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर